आंबेडकर की दृष्टि में स्त्री सशक्तिकरण

सुनीलदत्त वी. व्यास
अध्यापक सहायक
श्री महावीर विद्यामंदिर ट्रस्ट बी.एड्. कोलेज.
प्रमुखपार्क,पांडेसरा,
उधना नवसारी रोड, सुरत

१. प्रस्तावना

भारतीय दृष्टिकोण में हमेशा नारी को कुलदेवी समझा जाता है। वैदिककाल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उनको उच्चस्थान प्राप्त था। आश्रम में शिक्षा प्राप्त करती थी। सहशिक्षा का प्रचलन था। बृहद्देवताग्रन्थ में ऋग्वेदस्थ 24 और यजुर्वेद में 5 विदुषियों **(कात्यायनी, मैत्रेयी, वाचक्नवी, गार्गी, ब्रह्मवादिनी)** का उल्लेख है। ऋग्वेद में नारी विषयक 422 मंत्र हैं। वेदों में नारी को कुलपालक, पत्नी, गृहलक्ष्मी, सबला, सरस्वती, सावित्री इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। वैदिककाल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषो के समान अच्छी थी। उत्तर वैदिककाल में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी परन्तु कुछ परिवर्तन होने लगा था। इस काल में जैनधर्म और बौधधर्म ने स्त्री का समर्थन किया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि **वे ही देश उन्नति कर सकते है जहाँ स्त्रियों को उचित स्थान प्राप्त होता है।** धीरे-धीरे नारियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। स्मृतियुग में स्त्रियों के समस्त अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मनुस्मृतिकारने नवम अध्याय के तृतीय श्लोक में स्त्री को परतंत्र बताया हैं जैसा कि स्पष्ट है-

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥

धर्मशास्त्रकाल में समाज और स्त्रियों पर अधिक प्रतिबंध लगा दिये गये। स्त्री शिक्षा पर पाबन्दी लगा दी गयी। कन्या विवाह की आयु घटकर 10-12 वर्ष रह गयी। इस काल में नारी को उपभोग की वस्तु मात्र बना दिया गया। स्त्रियों के पतन का सबसे अधिक जिम्मेदार धर्मशास्त्रकाल रहा था। मध्यकाल के आते-आते स्त्री की दशा दयनीय और समाज में स्थान गौण हो गया। इसी काल में मुसलमानो के आगमन के कारण स्त्रियों की स्थिति और बिगड़ने लगी। ब्रिटीशकाल में हिन्दू स्त्रियों के सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। सन् 1919 तक स्त्रियों को मताधिकार देने का अधिकार पूर्णरूप से प्राप्त नहीं था। महात्मा गांधी ने स्त्री स्वतंत्रता के प्रयास किये।

आधुनिक काल में स्त्री स्वतंत्रता की आधिकारी नहीं है। पुरुषों ने उसे घर की चहारदिवारी के अन्दर बन्द कर दिया है। आज नारी गर्भ से लेकर समाज तक के सफर में वह असुरक्षित है। बेटी- भ्रुण हत्या, स्त्री- उत्पीडन के समाचार आते ही रहते हैं। महिलाओं के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश करनेवाली 100 लड़कियों में सिर्फ 30% ही पढाई पूरी कर बाहर निकलती है। आज आधुनिक नारी को पग-पग पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष

करना पड़ता है। नारी के पिछडेपन का मुख्य कारण मनुस्मृति, पुरुषसमाज, हिन्दुसमाज, हिन्दुधर्म, अन्धविश्वास, कट्टरपंथ, अमानवीय प्रथाएँ हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है नारी परतन्त्रता को देखकर बाबासाहेब ने संविधान में नारी शिक्षा एवं नारियों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। जिससे समाज एवं राष्ट्र में नारियों का उत्थान हो सके। वास्तव में देखा जाय तो नारी समूचे राष्ट्र का निर्माण करने का सामर्थ्य रखती है। आंबेडकर का संदेश था **शिक्षित बनो. संगठित रहो संघर्ष करो.** प्रस्तुत संशोधन पत्र में आंबेडकर के स्त्री विषयक विचारों को ध्यान में लिया गया है और विषय का चयन किया गया है।

२. समस्या कथन

प्रस्तुत संशोधन में निम्न समस्या को ध्यान में लेकर विषय निश्चित किया गया है-

आंबेडकर की दृष्टि में स्त्री सशक्तिकरण

३. संशोधन के हेतु

प्रस्तुत संशोधन निम्न हेतुओ को ध्यान में रखकर किया गया है-

(1) आंबेडकर के जीवन का अध्ययन करना

(2) आंबेडकर के स्त्री सशक्तिकरण के विचारों का अध्ययन करना.

४. संशोधन के प्रश्न

प्रस्तुत संशोधन के प्रश्न निम्न लिखित है-

(1)आंबेडकर का जीवन किस प्रकार का रहा है?

(2) आंबेडकर के स्त्री सशक्तिकरण के विचार कौन-कौन से हैं?

५. संशोधन का व्यापविश्व एवं नमूना

आंबेडकर ने धर्म, जाति, संप्रदाय, छूआछूत, राजनीति, दलित, आर्थिक, राष्ट्र, शिक्षा, कानून, स्त्री समाज, संगठन, मंदिर, धर्मग्रंन्थ, न्याय, अन्तराष्ट्रीय संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है जो इस संशोधन का व्यापविश्व है। प्रस्तुत संशोधन में आंबेडकर के अनेकविध विचारो मे से मात्र स्त्री सशक्तिकरण के विचारो को नमूने के रूप में लिया गया है।

६. संशोधन पद्धति

प्रस्तुत संशोधन में वर्णनात्मक पद्धति अंतर्गत **विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति** का उपयोग किया गया है। यह संशोधन गुणात्मक प्रकार का है।

७. संशोधन में उपकरण

प्रस्तुत संशोधन में उपकरण के रूप में आंबेडकर की पुस्तकों, स्त्री सशक्तिकरण विषयक संशोधन पत्रों एवं आंबेडकर के स्त्री सशक्तिकरण के विचारो से संबंधित प्रकाशित लेखों को उपकरण के रूप में अपनाया गया है। इतना ही नहीं इन्टरनेट को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है।

८. संशोधन का पृथक्करण और अर्थघटन

(१) आंबेडकर के जीवन का अध्ययन

डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1891को महू (मध्यप्रदेश) में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मलेने के कारण उन्होंने सारा जीवन कष्टमय बिताया। बाबासाहेब आंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। इतना ही नहीं सार्वजनिक आंदोलनो द्वारा सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिये खुलवाने, अछूतों को मंदिर प्रवेश, दलितों और शोषितो को सामाजिक समानता का अधिकार दिलाने के लिए अत्यधिक संघर्ष किया।

आंबेडकर एक विश्वस्तर के विधिवेत्ता थे साथ ही भारतीय संविधान के मुख्य प्रणेता भी थे। वे महान् बोधिसत्व तथा बाबासाहेब के नाम से आज भी लोक विश्रुत हैं। आंबेडकर ने कानून की उपाधि के साथ विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में अध्ययन एवं अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्व विद्यालय और लंदन स्कूल ओफ इकोनोमिक्स से कई डाक्टरेट की डिग्रियां भी प्राप्त की। आंबेडकर ने एम.ए., पीएच.डी., डी.एससी., एलएल.डी., डी.लिट्., बेरिस्टर एट् लो. आदि उपाधियां प्राप्त की थी।

आंबेडकर भारत के कानून मंत्री तथा संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 1990 में भारतरत्न की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया गया था। मधुमेह और कमजोर दृष्टि से पीडित होने के कारण वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहे थे। 6 दिसंबर 1956 को आंबेडकरजी का शरीर पञ्चतत्वों में विलीन हो गया लेकिन वैचारिक दृष्टि से आंबेडकर आज भी हमारे दिलो में प्रस्तुत है।

(२) आंबेडकर के स्त्री सशक्तिकरण के विचार

अ. आंबेडकर ने संविधान के द्वारा महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए जो स्मृति धर्मशास्त्रों मे नकारे गए थे। मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के छप्पन वे श्लोक में लिखा है- यज्ञ, न उपवास, न व्रत का विधान बताया गया है। अर्थात् स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥

वहीं दूसरी और पांचवे अध्याय के 155 वें श्लोक में स्त्री का अलग से न नहीं हैं। लेकिन स्त्रियों को सशक्त बनाने के लिए आंबेडकर ने सन् 1951 में **'हिन्दू कोड बिल'** संसद में पेश किया। डॉ. बाबासाहेब का मानना था कि प्रजातंत्र तब आयेगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पुरूषो की तरह महिलाओं की भी उन्नति होगी। **'हिन्दू कोड बिल'** 4 खंडो में 1951 में पारित हुआ-

(१)हिन्दू विवाह अधिनियम 1956
(२) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
(३)हिन्दू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956
(४) गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956

इतना ही नहीं आंबेडकर ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-6 में संशोधन कर स्त्रियों को उनके पिता की पैतृक संपत्ति में पूरा हक प्रदान किया गया। **'हिन्दू कोड बिल'** पास कराने के पीछे उनका उद्देश्य स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार, विवाहित व्यक्ति के लिए एकाधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध, विधवा एवं अविवाहित कन्याओ को पैतृक संपत्ति में अधिकार, हिन्दू कानून में अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना था। इस बिल को पास कराने पर आंबेडकर इतना जोर इसलिए दे रहे थे कि स्त्रियां जातिवाद का प्रवेश द्वार थी जिस पर ब्राह्मणवाद कब्जा कर रहा था। अंतः ऊंचनीच की भावना कायम रह सकती थी। इस तरह **'हिन्दू कोड बिल'** महिलाओं को पारंपरिक बंधनो से मुक्ति दिलाने की और उठाया गया सशक्त कदम था। कानूनशास्त्र की नजर से रामायण का विश्लेषण करते हुए आंबेडकर कहते थे कि **'राम और सीता का मामला मेरे कोर्ट में होता तो मैं राम को आजीवन कारावास की सजा देता'।** संसद में हिन्दू कोड पर बोलते हुए डॉ.बाबासाहेबने कहा कि **'भारतीय स्त्रियों की अवनति के कारण बुद्ध नहीं मनु है'।** इस प्रकार आंबेडकर स्त्री को समस्त बन्धनो से मुक्त रखना चाहते थे। इतना ही नहीं आंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए 27 दिसम्बर 1951 को **'हिन्दू कोड बिल'** का प्रस्ताव पास न होने पर मंत्रीमंडल से इस्तीफा देकर सर्वोच्च ऐतिहासिक बलिदान दिया था।

ब. डॉ.आंबेडकर का महिलाओ के प्रति विशेष दृष्टिकोण था जो उनके विचारो से स्पष्ट है। बाबासाहेब ने महिलाओं के उद्धार के क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं विधिवत रूप से कार्य किया है। आंबेडकर के नारी विषयक विचार अधोलिखित हैं-

"मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओ ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ"।

"जिस समाज में महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता वह समाज निरर्थक है"।

"पति-पत्नी के बीच का संबंध धनिष्ट मित्रों जैसा होना चाहिए"।

इन विचारो से स्पष्ट है कि आंबेडकर दिनप्रतिदिन महिला की हरदृष्टि से प्रगति के पक्षधर थे। समाज में नारी को उच्चस्थान दिया जाय मात्र घर तक ही सिमित न रखा जाए। विवाह का संबंध मित्र की तरह होना चाहिए जिससे पति=पत्नी अपनी आपसी समस्याओ का समाधान मित्र की तरह कर सके। वर्तमान में आबेडकर के इन विचारो से भारतीय समाज में नारी को उच्च स्थान के साथ बन्धनो से मुक्त रखा जा सकता हैं। और उसकी शैक्षणिक दृष्टि से प्रगति की जा सकती है।

क. बाबासाहेब आंबेडकर ने नारी उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान बनाए जो निम्न तालीका से स्पष्ट है।

तारीका-१नारी संवैधानिक प्रावधान तालीका

क्र.स	अनुच्छेद	प्रावधान
1	15-3	राज्य में स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध
2	16	स्त्रियों को समानता का अधिकार।
3	23	महिलाओं के शोषण के विरुद्ध अधिकार।
4	23-2	सार्वजनिक प्रयोजनो के लिए अनिवार्य सेवा के लिए राज्यबाधित नहीं कर सकता।
5	29-2	लिंग पर आधारित विद्यालय खोले जा सकते है।
6	39-ए	महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने

		चाहिए।
7	39-डी	समानकार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए।
8	39-ई	महिलाएं इच्छा व शक्ति के अनुसार ही कार्य करे वरना न करें
9	42	महिलाओं को विशेष प्रसूति अधिकार
10	44	समान नागरिकता का प्रावधान
11	51-ए	महिलाओं के सम्मान विरूद्ध प्रथा का त्याग
12	243 (2) 243 डी(2)	आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 स्थान एस.सी. / एस.टी. महिलाओं के लिए संरक्षित है।
13	संविधान के 97 वें भाग-9 ख 243 जेड डी (1)	सहकारी समिति में 21 निर्देशक होंगे जिसमें 2 स्थान महिलाओं का होगा।

आंबेडकर ने 19 जुलाई 1942 को नागपुर में सम्पन्न दलित परिषद में कहा था कि, **'नारी जगत् की जिस अनुपात में तरक्की होगी उसी मापदंड में समाज की भी तरक्की होगी'**। बाबासाहेब ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली स्त्रियों से कहा था-

(1)आप सफाई में आगे रहना सीखें

(2) सभी अनैतिक प्रवृत्तियों से मुक्त रहें।

(3) हिन्दू भावनाओं का त्याग करें।

(4) विवाह की जल्दी न करें और अधिक संतान पैदा न करें।

आंबेडकर ने सर्व प्रथम राजनीति में प्रवेश करके 1928 में स्त्री मजदूरों को प्रसूति अवकाश देने संबंधी **'मैत्री बेनीफीट बिल'** प्रस्तुत किया। तृतीय **गोलमेज संमेलन** (गोलमेज संमेलन 1930 से 1932 ई. के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस संमेलन का आयोजन तत्कालीन वाइसराय लार्ड इर्विन की 31 अगस्त 1929 ई.की घोषणा के आधार पर हुआ था। इसमें भारत के नये संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज संमेलन का प्रस्ताव रखा था। इसके आयोजन का मुख्य कारण साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थें अतः हिन्दुओ को असंतोष उत्पन्न हो ग्या। इसी असंतोष को दूर करने के लिए संमेलन का आयोजन किया गया था) में डॉ.बाबासाहेब के द्वारा उच्चक्षेत्रो में मताधिकार प्रदान कराया गया। और सभी लोग सहमत हो गए। जिन्हें एक श्वेत पत्र के रूप में ब्रिटीश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखा गया। यही श्वेत पत्र आगे चलकर 1933 ई. के **'गवर्न मेंट ओफ इंडिया एक्ट'** (भारतीय शासन विधान) का आधार बना। इस तरह नारियों के लिए बाबासाहेब ने कानूनी तौर पर प्रावधान बना दिये जिससे नारी शक्ति मुक्त रहकर अपना विकास स्वयं कर सके।

९. निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते है कि डॉ.आबेडकर नें महिलाओं की समस्त समस्याओं का सिंहावलोकन कर उनकी स्थिति को सुधारने हेतु जो कदम उठाएँ गए उनके द्वारा आज भारतीय समाज की सभी वर्ग की महिलाएँ सम्मान से अपना जीवन निर्वाह कर रही है और हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ रही है।इतना ही नहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करती हुई अपनी संतानो को शिक्षित कर रही है और प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र में जुडकर अपने आप को आर्थिक रूप से सबल बना रही है। पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन पथ पर अग्रेसर हो रही है।

संदर्भग्रन्थानुक्रमणिका

1. सिंह. तेज, ***आंबेडकरवादि विचारधारा और समाज,*** स्वराज प्रकाशन, दिल्ली. प्रथम संस्करण (2008)।
2. बनौधा. चंद्रराम, ***डॉ.आंबेडकर का जीवन संघर्ष***, आनंद साहित्य भवन, द्वितीय संस्करण (2000)।
3. जे.सी. अग्रवाल, ***भारत में नारी शिक्षा***, प्रभात प्रकाशन, ISBN 978-81-85828-77-0 (1 जनवरी 2009)|
4. शौनक. ***बृहद्देवता,*** चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, (1990)।
5. वर्मा. रामचंन्द्र, ***मनुस्मृति,*** विद्या विहार, नई दिल्ली, (2005)।
6. http://accessofjustics.blogspot.in/2013/08/0-0-html
7. http://m.authorstream.com>swekchha-2126765-16/04/2014
8. http://samaybuddha.wordpress.com
9. http://m.prabhatkabar.com
10. http://yugmanas.com
11. http://uichaarsankalan.wordpress.com
12. Hindi.speakingtree.in>blog> subhashbudawanwala